

17/2/25

पत्रावली पैसा हुई. वकील सार्थी अनुपस्थित/पठना- का
सुन पाद फैसला हो चुका है. वकील सार्थी अनुपस्थित
है. अतः पाद फैसला हो जाने से शर्तक पत्र
द्वारा विद्या चयना हेतु पत्रावली फैसला सुमा
लेवा मंजूर हो पाया है।



सहायक कलेक्टर एवं
उपबण्ड अधिकारी, भूपालभाग

